प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 004[illegible]-2[illegible]20

दिनांक 25/10/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SAH/00361/2019-2020 पत्रावली संख्या:I 9409-एस दिनांक:2009-2010

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **विद्या देवी शिक्षा प्रसारिणी समिति, ग्राम व पोस्ट जन्धेड़ा समसपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर , 247451** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 274/2009-2010 दिनांक-08/10/2009 को दिनांक-08/10/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Paras Nath Gupta)

जारी करने का दिनांक-25/10/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सत्य प्रतिलिपि

07/11/2019

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 019726

यह जनरल स्टाम्प पेपर–विद्या देवी शिक्षा प्रसारिणी समिति, ग्राम व पोस्ट जन्धेड़ा समसपुर, जिला–सहारनपुर के संशोधित नियमावली की सत्यप्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसायटीज ... सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
05/01/2024

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम — विद्या देवी शिक्षा प्रसारिणी समिति
2. संस्था का पता — ग्राम व पोस्ट जन्धेडा समसपुर, जिला सहारनपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यताः

सस्था के निम्न प्रकार के सदस्य होगें–

(1)– संस्थापक– स्मृतिपत्र में अंकित सभी सदस्य संस्थापक सदस्य होगें। जिन्होने संस्था को 2000 रू का योगदान दिया है।

(2)– आजीवन– जो भी अर्ह व्यक्ति रू 2000 (रू दो हजार) संस्था को देगा यह प्रबंध समिति के अनुमोदान से आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(3)– सामान्य– जो भी अर्ह व्यक्ति रू एक सौ वार्षिक देगा वह समिति के अनुमोदन से सामान्य सदस्य बन सकेगा। किन्तु उसे चुनाव में भाग लेने का अधिकार एक वर्ष की सदस्यता के बाद ही होगा।

5– संस्था के अंग– संस्था के दो अंग होगें। 1– साधारण सभा तथा 2– प्रबंध समिति

6– सदस्यो की आयोग्यताः क. पागल होने पर, मृत्यु होने तथा शुल्क न देने पर
ख. त्यागपत्र देने पर।
ग. समिति तथा संस्था को हानि पहुचांने पर।
घ. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।
ड. लगातार 3 बैठकों में भाग न लेने पर।

7– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

7–ए– सभा के अधिकार–सभा द्वारा प्रबंधसमिति के पदाधिकारियों, सदस्यों का चुनाव प्रति पांच वर्ष में किया जायेगा। सभा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की देखरेख करेगी। संस्था के लिये बजट तैयार कर पारित कर पारित कराना।

8– प्रबंधसमिति– साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा प्रबंध समिति के पांच पदाधिकारियों तथा 2 सदस्यों का प्रति पांच वर्ष में चुनाव किया जायेगा। 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. प्रबन्धक 4. उपप्रबन्धक तथा 5. कोषाध्यक्ष एवं 2 सदस्य।

9– बैठको के कार्य संचालन की प्रक्रियाः (साधारण सभा तथा प्रबंधसमिति दोनों के लिये)

क– कोरम, समिति/सभा की बैठकों का कुल कोरम उसकी संख्या का 3/5 होगा किन्तु नियमों में परिवर्तन, किसी के विरूध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने तथा भूमि भवन सम्बधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये 7 दिन तथा विशेष बैठक के लिये चार दिन का नोटिस पर्याप्त होगा। बैठक बुलाने के लिये अध्यक्ष प्रबंधक को निर्देश देगा।

एजेन्डे में विचारणीय विषय प्रबंधक द्वारा सूचित किये जायेगें। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिये समान रूप से की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
05/01/2024

सतीश कुमार

ख– कोई भी विषय जो एजेन्डे में शामिल न हो, उसे सदस्यों की सहमति से बैठक में उठाया जा सकता है। सभा/समिति की बैठक की कार्यवाही के बारे में वही सदस्य आपत्ति उठा सकता है, जो उसकी पिछली बैठक में मौजूद रहा हो। कार्यवाही की पुष्टि हो जाने के बाद उसकी शुद्धता पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

ग– सभा/समिति की बैठक में किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा अपना निर्णायक मत दिया। अध्यक्ष का निर्णय 2/3 बहुमत से मान्य होगा। वार्षिक अधिवेशन की तिथि प्रबंध समिति द्वारा तय की जायेंगी।

10. समिति के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होगें–

1. संस्था के बजट का निर्माण करना तथा उसके अनुसार कार्य करना।
2. संस्थाओ के लिए नियमानुसार शिक्षकों/कर्मचारियो की नियुक्ति तथा अलहदनी करना।
3. संस्था की चल/अचल सम्पत्ति पर देखरेख करना तथा संस्था हित में उपभोग करना।
4. संस्था/सभा के हितों के विरूद कार्य करने पर बहुमत से प्रस्ताव पास कर सदस्य को उसकी सदस्यता से हटाना।

11. पदाधिकारियो के अधिकार व कर्तव्य–

1. अध्यक्ष– समिति की बैठकों की अध्यक्षा करना। बैठक के लिये दिनांको का अनुमोदन करना परिचर्तन करना या बैठक स्थगित करना। समान मत होने की दशा में निर्णायक मत देना।
2. उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कुछ या समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो उसे लिखित दे रखे हों।
3. प्रबंधक–1. संस्था/सभा के लिये शुल्क/चन्दा तथा दान–अनुदान आदि प्राप्त करना तथा सस्था हित मे उपयोग करना।
   2. संस्था के सभी लेखो का संचालन करना तथा सलाना आडिट की व्यवस्था करना।
   3. संस्था में आवश्यकतानुसार शिक्षक/कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अलहदगी करना।
   4. ऐसे अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना, जो प्रबन्धक होने के नाते उसे करने होते है।
   5. संस्था से सम्बधित सभी सम्पत्ति के पत्रजातों पर हस्ताक्षर करना।
   6. संस्था/सभा द्वारा न्यायलय में वाद करने या संस्था पर वाद होने की दशा में हस्ताक्षर प्रबन्धक द्वारा ही किये जायेंगे।
   7. संस्था के सभी खातों का बैंक में अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष, किसी दो के साथ संचालन करना तथा सभी रजिस्टर अपने पास रखना।
   8. संस्था का वार्षिक बजट तथा रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक बैठक में विचार के लिये रखना।
   9. ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करना तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करना, जो इन नियमों कानून द्वारा उसे दिये गये हों।
   10. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिये उसके मुख्य कार्यपालक का कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
05/01/2024

4. उप–प्रबन्धक, प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके कुछ या सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो उसे लिखित में दिये गये है।

5. कोषाध्यक्ष– प्रबन्धक को संस्था के लेखों के संचालन में सहयोग करना, चन्दा आदि प्राप्त कर, सम्बन्धित खातों में जमा कराना तथा वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करना। संस्था के लेखों का आडीटारों से आडिट करा कर, उसकी रिपोर्ट को सभा की वार्षिक बैठक में रखना।

12. लेखों की जांच– साधारण सभा द्वारा नियुक्त आडीटर से लेखों की जांच कराई जायेगी। रिपोर्ट पर वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा। संस्था की प्रतिवर्ष की बैलेंस शीट पर सी ए के हस्ताक्षर कराये जायेगें।

13. संस्था के अभिलेखों–1– एजेडा रजिस्टर, 2– कार्यवाही रजिस्टर, 3– सदस्यता रजिस्टर, 4– कैशबुक तथा लेजर, 5– बैंक पासबुक होगें।

14.वैधानिक कार्यवाही– सभा/संस्था पर समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबंधक पर तथा प्रबंधक द्वारा ही की जायेगी। पत्रजातो पर प्रबंधक के ही हस्ताक्षर होगें। सभी अभिलेख, जैसे सदस्यता रजिस्टर, एजेन्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर रसीदें, बाउचर्स आदि प्रंबधक के पास उसी के उत्तरदायित्व पर रहेगें।

15. अग्रेजी माध्यम से संस्था की मान्यता लेने की दशा में निम्न प्रतिबन्धों का पालन, समिति द्वारा किया जायेगा।

क. विद्यालय की सोसाइटी का पंजीकरण समय समय पर कराया जायेगा।

ख. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0मा0शि0 परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

घ. राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान संस्था को नही दिया जायेगा और न ही संस्था द्वारा मांग की जायेगी। यदि पूर्व में विद्यालय मान्यता प्राप्त है तो विद्यालय के सम्बद्वता सी. बी.एस.ई. या काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होते ही परिषद से मान्यता और राज्यसरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ड. संस्था के शिक्षणेतर तथा शिक्षक कर्मचारियों को राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

च. कर्मचारियों के लिये सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश/आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

झ. विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
05/01/2024

विक्रम सिंह सतीश कुमार बबली

ञ. उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा।

ट. उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाईटी के बाइलॉज मे सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

16. बैंक संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था का खाता खोला जायेगा तथा उसका संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक/कोशाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयूक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

17. नियमों में परिवर्तन/परिवर्द्धन एक्ट की धारा 12 के अनुसार कार्यवाही करके किया जायेगा।

18. संस्था के विघटन होने की दशा में निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 की धारा 13 व 14 के अनुसार होगी।

19. बैंक ऋण– किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी संस्था से समिति द्वारा आवश्यकता पडने पर ऋण लिया जा सकता है।

विक्रम सिंह सतीश कुमार वकली

दिनांकः–

स्थानः–

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
05/01/2024